

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक **B/536** /

जबलपुर, दिनांक 23/01/2020

श्रीमती प्रियंका शर्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के उपस्थिति रजिस्टर में अपने नाम के समक्ष बिना उचित आदेश अथवा अनुमति प्राप्त किये कांट-छांट कर सफेदा लगाने का कृत्य करने के फलस्वरूप कठोर चेतावनी दी जाती है कि इस प्रकार के कृत्य की भविष्य में पुनरावृत्ति न करें एवं सजग रहें।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक **B/537** /

जबलपुर, दिनांक 23/01/2020

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए. आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्था./प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्रीमती प्रियंका शर्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for